संख्या-25013/6/2001-स्थापना(क)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 28 , 2002

कार्यालय-ज्ञापन

विषय:-केन्द्रीय सरकार के अधिशेष कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना ।

भारत-सरकार द्वारा गठित व्यय सुधार आयोग ने अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों के लिए एक उदार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना का सुझाव दिया है । "सरकारी कर्मचारियों की संख्या इष्टतम बनाए जाने संबंधी कतिपय सामान्य मुद्दे" पर आयोग की दूसरी रिपोर्ट में की गई इस सिफ़ारिश पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित एक अथवा एकाधिक कारणों के परिणामस्वरूप किसी मंत्रालय/विभाग में अधिशेष घोषित किए गए स्थायी कर्मचारियों हेतु पैरा 2 में दिए गए ब्योरे के अनुसार विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना लागू किए जाने का निर्णय किया है:-

(i) मंत्रालयों/विभागों की पुनर्संरचना किए जाने के बारे में मंत्रिमंडल के निर्णयों का कार्यान्वयन;

(ii) व्यय सुधार-आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन;

(iii) किसी मंत्रालय/विभाग के, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने किसी संगठन की पुनर्संरचना किए जाने, अपना कोई कार्य-कलाप किसी राज्य-सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य स्वायत्त संगठन को अंतरित कर दिए जाने, अपना कोई मौजूदा कार्य-कलाप समाप्त कर दिए जाने और प्रौद्योगिकी में बदलाव लाए जाने के निर्णय सहित अपने कार्मिकों की संख्या घटाए जाने/उपयुक्त किए जाने के निर्णय का कार्यान्वयन; अथवा

(iv) वित्त-मंत्रालय के कर्मचारी-निरीक्षण-एकक या केन्द्रीय सरकार या संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा किए गए कार्य-अध्ययन-रिपोर्टों का कार्यान्वयन ।

....2/-

2. अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना की विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:-

(क) अधिशेष घोषित किए गए सभी स्थायी कर्मचारी अपनी आयु और अर्हक सेवा को मद्देनज़र न रखते हुए इस योजना हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं ।

(ख) विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना का विकल्प देने वाला कर्मचारी पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन और शेष रही सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन का मूल वेतन जमा महँगाई भत्ते के बराबर अनुग्रह-धनराशि पाने का हक़दार होगा । अनुग्रह-धनराशि हेतु वर्ष में किसी भी समय दिनों की संख्या प्रति वर्ष 365 के आधार पर गिनी जाएगी । इसके अतिरिक्त, अनुग्रह-धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:-

(i) अनुग्रह-धनराशि के भुगतान की दृष्टि से गणना किए जाने वाले वर्षों की कुल संख्या 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ii) अनुग्रह-धनराशि की गणना के प्रयोजन से अतिरिक्त सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा;

(iii) अनुग्रह-धनराशि की न्यूनतम सीमा 25,000/-रूपए अथवा 250 दिन की परिलब्धियों में से, जो भी अधिक हो, रहेगी;

(iv) अनुग्रह-धनराशि, अधिवर्षिता की आयु से पूर्व शेष रही सेवा की अवधि के संबंध में कर्मचारी द्वारा अपने पद और वेतनमान के मौजूदा स्तर पर प्राप्त किए जाने वाले मूल वेतन और महँगाई भत्ते के जोड़ से अधिक नहीं होगी;

(v) अनुग्रह-धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा;

(vi) 5.00 लाख रूपए तक की अनुग्रह-धनराशि आयकर से मुक्त रखी जाएगी ।

(ग) ऐसे स्थायी अधिशेष किए गए कर्मचारियों को जिन्होंने अधिशेष घोषित किए जाने की तारीख़ तक न्यूनतम 15 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत अर्हक सेवा में 5 वर्ष का लाभ दिया जाएगा । तथापि, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 29 में किए गए प्रावधान के अनुसार, उपर्युक्त सेवा लाभ जोड़े जाने के बाद अर्हक सेवा की अवधि उस सेवावधि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो उसने अपनी अधिवर्षिता की तारीख़ पर सेवानिवृत्त होने पर की होती ;

.....3/-

(घ) सेवा मुक्त होने की तारीख़ को संचित अर्जित अवकाश का केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अनुसार नक़दीकरण ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार-कर्मचारी-समूह-बीमा-योजना में बचत अंश का, नियमों के अनुसार ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा ;

(च) सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को अपने परिवार सहित भारत में कहीं भी बसने देने हेतु यात्रा भत्ता नियमावली के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा ;

(छ) विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना का लाभ लेने का विकल्प चुनने वाले समूह 'क' कार्मिकों को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 10 के लागूकरण से छूट दी जाएगी जिसमें कर्मचारियों द्वारा वाणिज्यिक नियोजन की पेशकश स्वीकार किए जाने से पूर्व सरकार का पूर्वानुमोदन लेना निर्धारित किया गया है ।

3. इस योजना के तहत अधिशेष घोषित किए गए तथा तीन मास की निर्धारित अवधि के भीतर विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को अनुग्रह-धनराशि का भुगतान, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत सामान्य सेवानिवृत्ति हक़दारियों के अतिरिक्त किया जाएगा ।

4. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रत्येक मामले के आदेश में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए कि सेवानिवृत्त होने वाले पद धारक द्वारा धारित अधिशेष पद, उस कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख़ से समाप्त हो जाएगा ।

5. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना के प्रयोजन से अधिशेष कर्मचारियों की पहचान, केन्द्रीय सरकार के विभागों/कार्यालयों में स्थापनाओं की कटौती के कारण अधिशेष घोषित किए गए कार्मिकों को निबटाने की संशोधित योजना के अंतर्गत "अधिशेष कर्मचारियों की पहचान हेतु उपाय" नामक शीर्षक से अनुबंध-। के मद संख्या 3 में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा की जाएगी । (देखें कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग का अप्रैल 01, 1989 का परिपत्र संख्या 1/18/88-के.से.-।।।)

6. किसी भी मंत्रालय/विभाग में अधिशेष घोषित किए गए स्थायी कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किए जाने की तारीख़ से तीन माह के भीतर विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना हेतु अपना विकल्प देना होगा । इस कार्यालय-ज्ञापन के जारी होने की तारीख़ को कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के अधिशेष प्रकोष्ठ (पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन प्रभाग के रूप में पुनः पदनामित) की पंजिका पर इस समय दर्ज अधिशेष कर्मचारी भी इस तारीख़ से तीन माह के भीतर विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना का लाभ लेने का विकल्प दे सकते हैं ।

.....4/-

7. इस योजना के कार्यान्वयन के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के अधिशेष प्रकोष्ठ द्वारा यथा निर्धारित तिमाही विवरणियाँ इस विभाग के अधिशेष प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करें ।

8. वित्त-मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय-ज्ञापन की विषयवस्तु का, अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें ।

प्रतिभा मोहन

(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निदेशक (ई-1।)
दूरभाष : 3013180

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार) ।